

प्रारूप - 54

का नाम - मटाड़ पेयजल योजना

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।



ह0/-

प्रभागीय वन अधिकारी



अधिशाली अभियन्ता,

ह0/-

निर्माण शाखा, मटाड़ पेयजल निगम
प्रयोजिता एजेंसी
विकासनगर, नियर पुल न0-1



उप-निर्माण शाखा
मटाड़ पेयजल निगम
प्रयोजिता एजेंसी

 वन वी० म० वन अधिकारी



वन क्षेत्राधिकारी
वायर रेंज
चिल्हाड / कण्डोला